

नम्बर
अहकाम
कुक्म
में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम बनेड़ा तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद में अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

प्रकरण संख्या | 14/2018

अनवान

1 खेमचन्द पिता नन्दराम कोली निवासी हाल 118 बाबा रामदेव मन्दिर के पास कोली मोहल्ला भीलवाड़ा तहसील व जिला-भीलवाड़ा वादी

बनाम

- 1 गणपत पिता नन्दाराम कोली निवासी हाल सांगानेरीगेट तेली मोहल्ला भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2 कन्हैयालाल पिता नन्दराम कोली फौत के बजाय
2/1 मुकेश पिता कन्हैयालाल कोली निवासी हाल सांगानेरीगेट तेली मोहल्ला भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2/2 रेखा पुत्री कन्हैयालाल कोली निवासी हाल सांगानेरीगेट तेली मोहल्ला भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2/3 अनु पुत्री कन्हैयालाल कोली निवासी हाल सांगानेरीगेट तेली मोहल्ला भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 3 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0
- 4 छगनलाल पिता देवा कोली निवासी हाल सांगानेरीगेट तेली मोहल्ला भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी
पेरोकार सरकार.....विपक्षी संख्या 03

दिनांक - 06.06.2018

वादी का वादपत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88-89-90-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बनेड़ा पटवार हल्का क्षेत्र बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 903 के आराजी संख्या 124, 254 कुल किता 02 कुल रकबा 01-15 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी के पिता एवं दादा नाम बालु पिता देवा कोली खातेदार के स्थान पर नन्दराम पिता देवा कोली सह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

डिक्री आज दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेड़ा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेड़ा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी - श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 114/2018

- अनवान
1 खेमचन्द पिता नन्दराम कोली निवासी हाल 118 बाबा रामदेव मन्दिर के पास कोली मोहल्ला
भीलवाड़ा तहसील व जिला-भीलवाड़ा वादी
- बनाम
1 गणपत पिता नन्दाराम कोली निवासी हाल सांगानेरीगेट तेली मोहल्ला भीलवाड़ा तहसील व
जिला भीलवाड़ा
2 कन्हैयालाल पिता नन्दराम कोली फौत के बजाय
2/1 मुकेश पिता कन्हैयालाल कोली निवासी हाल सांगानेरीगेट तेली मोहल्ला भीलवाड़ा
तहसील व जिला भीलवाड़ा
2/2 रेखा पुत्री कन्हैयालाल कोली निवासी हाल सांगानेरीगेट तेली मोहल्ला भीलवाड़ा
तहसील व जिला भीलवाड़ा
2/3 अनु पुत्री कन्हैयालाल कोली निवासी हाल सांगानेरीगेट तेली मोहल्ला भीलवाड़ा
तहसील व जिला भीलवाड़ा
3 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0
4 छगनलाल पिता देवा कोली निवासी हाल सांगानेरीगेट तेली मोहल्ला भीलवाड़ा तहसील व
जिला भीलवाड़ा प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी
पेरोकार सरकार.....विपक्षी संख्या 03

-:: निर्णय ::-

दिनांक 06.06.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके बनेड़ा पटवार हल्का क्षेत्र बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 903 के आराजी संख्या 124, 254 कुल किता 02 कुल रकबा 01-15 बीघा भूमि बालु, छगना, उदा पिता देवा कोली सां0 देह के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। जिसमें वादी व प्रतिवादी के पिता एवं दादा की मृत्युपूरान्त नारान्तकरण खोला गया जिसमें वादी एवं प्रतिवादी पिता एवं दादा का नाम नन्दराम पिता देवा कोली के स्थान पर बालु पिता देवा कोली दर्ज कर दिया गया। जबकी वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक होकर दादा के जीवन काल से ही काबिज है एवं वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात पर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादी पिता एवं दादा का नाम नन्दराम पिता देवा कोली के स्थान पर बालु पिता देवा कोली राजस्व रेकार्ड में हुए त्रुटीपूर्ण अंकन को दुरुस्त किये जाने की डिकी सादर फरमाई जावें।



2. प्रकरण को दिनांक 06.06.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प शिविर मुकाम बनेडा दिनांक के लिए पंजीबद्ध कर दर्ज रजिस्टर किया गया। नियत शिविर में पक्षकारान उभयपक्ष उपस्थित। लोक अदालत शिविर के दौरान ही दिनांक 30.06.2017 को वादी की शहादत्त में वादी खेमचन्द पिता नन्दराम कोली व प्रतिवादी संख्या 01 गणपत पिता नन्दाराम कोली, प्रतिवादी संख्या 4 छगनलाल पिता देवा कोली, गोपाललाल पिता उदयलाल कोली के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत अपनी और से सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एवं कलमबद्ध बयानो एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादी द्वारा वादपत्र के साथ फोटो पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड रेकार्ड तथा जमाबन्दी संवत् 2018 से 21 से यह प्रमाणित होता है कि वादी एवं प्रतिवादी 01, 02 के पिता का नाम नन्दराम पिता देवा कोली है। लिहाजा वादी का वाद पत्र मेरिट व परिक्षण से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

वादी का वादपत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके बनेडा पटवार हल्का क्षेत्र बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 903 के आराजी संख्या 124, 254 कुल किता 02 कुल रकबा 01-15 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी के पिता एवं दादा नाम बालु पिता देवा कोली खातेदार के बजाय नन्दराम पिता देवा कोली सह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रतनलाल रेंगर)

उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
जिला भीलवाड़ा